भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 375

21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-डिजिटल कृषि मिशन

375. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित पहलों, पायलट परियोजनाओं और परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिसमें इसके अनुमोदन, कार्यान्वयन की समय-सीमा और राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु के अराणी संसदीय क्षेत्र में इसकी वर्तमान स्थिति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल घटक जैसे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, किसान रजिस्ट्री, फसल मानचित्रण, मृदा स्वास्थ्य डेटा, सलाहकार सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/दूर संवेदी तकनीकों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादकता में सुधार, मूल्य खोज, जोखिम प्रबंधन और ऋण तथा बीमा तक पहुंच पर इस मिशन के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(घ) तमिलनाडु सहित छोटे और सीमांत किसानों के लिए समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने तथा डेटा गोपनीयता और कृषि डेटाबेस की अंतः क्रियाशीलता की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार ने सितंबर 2024 में 'डिजिटल कृषि मिशन' को अनुमोदन दिया था। इस मिशन का उद्देश्य खेती के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे कि एग्रीस्टैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, मृदा उर्वरता एवं प्रोफ़ाइल का व्यापक मैप, और केंद्र व राज्य सरकारों की अन्य आईटी पहलों का निर्माण करना है। इनका उद्देश्य देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि इकोसिस्टम निर्मित करना है, जो किसानों, फसलों, पशुधन और मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी और किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों के लिए जानकारी के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करे। उपर्युक्त पहलों की मुख्य विशेषताएं और उनके परिणाम निम्नानुसार हैं:

I. एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन फाउंडेशनल रजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस शामिल हैं: किसान रजिस्ट्री, जियो-रेफरेंस विलेज मैप्स और बोई गई फसल की रजिस्ट्री को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाया और रख-रखाव किया जाता है। 16 जुलाई, 2026 तक, 10.15 करोड़ से अधिक किसान आईडी निर्मित की जा चुकी हैं। इनमें से, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई ज़िले, जिसमें अराणी निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, में 2,20,602 किसान आईडी निर्मित की गई हैं। रबी 2025-26 के दौरान, तिरुवन्नामलाई ज़िले सहित देश भर के 648 ज़िलों में 31.3 करोड़ से अधिक प्लॉट को शामिल करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) किया गया था। देश भर में किसान आईडी और वर्ष-वार डीसीएस डेटा (प्रारंभ से अब तक) की वर्तमान स्थिति अनुबंध I, IIक, IIख, IIग और IIघ में दी गई है।

II. 'कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली डीपीआई' को विकसित किया गया है। यह एक जियो-स्पेशियल प्लेटफ़ॉर्म है जो कृषि से जुड़ी योजना बनाने और निर्णय लेने में सहायता के लिए ज्योग्राफ़िक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करके सैटेलाइट इमेज, मौसम, मिट्टी और फ़सल डेटा को एकीकृत करता है।

III. 'भारतीय मृदा एवं भू- उपयोग सर्वेक्षण' (एसएलयूएसआई) ने पूरे देश में मृदा संसाधनों की मैपिंग परियोजना शुरू की है। इसमें हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट और ग्राउंड डेटा का उपयोग करके 1:10,000 के स्केल पर ग्राम स्तर पर मृदा सर्वेक्षण और इन्वेंट्री तैयार की जा रही है। जून 2026 तक, देश भर में 52.38 मिलियन हेक्टेयर पर मृदा सर्वेक्षण किया जा चुका है।

IV. डिजिटल सामान्य फसल आकलन प्रणाली (डीजीसीईएस) फसल उत्पादन का आकलन करने वाली एक सुदृढ़ प्रणाली है, जिसके लिए खेती के क्षेत्र और उपज के विषय में सही और विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होती है। एक ओर जहाँ डिजिटल फसल सर्वेक्षण से फसल बुआई के क्षेत्र की जानकारी लगभग रियल-टाइम में मिलती है, वहीं नवीन डिजिटल सामान्य फसल आकलन प्रणाली (डीजीसीईएस) साक्ष्य आधारित फ़सल उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए फ़सल की उपज का सटीक और समय पर डेटा प्रदान करता है। संपूर्ण देश में, वर्ष 2025-26 के दौरान 43,105 गाँवों में डिजिटाइज़्ड क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए गए हैं।

(ख) डिजिटल कृषि मिशन (प्रारंभ से) के अंतर्गत अलग-अलग घटकों- जैसे कि किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस), डिजिटल जियोस्पेशियल फसल अनुमान प्रणाली (डीजीसीईएस), मृदा प्रोफ़ाइल और केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर अन्य कार्यकलापों - के लिए जारी किए गए वार्षिक फंड का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

(ग) सरकार मिशन के परिणामों का निरंतर मूल्यांकन करती है। राज्य किसानों का जीवन आसान बनाने के लिए किसान आईडी का उपयोग कर रहे हैं। किसान आईडी के कारण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम- किसान) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत पंजीकरण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद, ऋण प्राप्ति तक पहुँच, इनपुट का वितरण और आपदा राहत को एकीकृत करना साकार हो पाया है।

(घ) यद्यपि तमिलनाडु सहित देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट उपयोग में वृद्धि हुई है, फिर भी छोटे और सीमांत किसानों समेत सभी किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं। वे एग्रीस्टैक पर पंजीकरण करने और सेवाओं व लाभों का उपयोग करने के लिए तत्कालीन सहायता प्रणाली जैसे कि किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ), कृषि सखी और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य 'किसान रजिस्ट्री' बनाने के लिए कैंप आयोजित कर रहे हैं ताकि कोई भी किसान एग्रीस्टैक के फायदों से वंचित न रहे।

साथ ही, राज्य किसान रजिस्ट्री को एक फेडरेटेड आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि डेटा का स्वामित्व हक संबंधित राज्यों के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के डेटा की संपूर्ण निजता सुनिश्चित करने के लिए 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' और 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025' के अनुसार एग्रीस्टैक को विकसित किया है।

अनुबंध I:

दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार किसान आईडी

क्रम सं.	राज्य का नाम	किसान आईडी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	50,30,156
2	असम	13,37,992
3	बिहार	55,26,333
4	छत्तीसगढ़	34,66,830
5	गुजरात	62,18,482
6	हरियाणा	12,02,432
7	हिमाचल प्रदेश	5,94,970
8	कर्नाटक	64,43,972
9	केरल	25,55,490
10	मध्य प्रदेश	1,13,27,231
11	महाराष्ट्र	1,34,89,450
12	ओडिशा	20,09,068
13	पंजाब	3,42,969
14	राजस्थान	87,18,847
15	सिक्किम	22,414
16	तमिलनाडु	36,47,613
17	तेलंगाना	49,76,292
18	त्रिपुरा	79,097
19	उत्तर प्रदेश	2,42,54,031
20	उत्तराखंड	3,21,665
	कुल	10,15,65,334

अनुबंध II - क

डीसीएस खरीफ 2024-25

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिले	प्लॉट
1	उत्तर प्रदेश	75	5,37,13,000
2	गुजरात	33	82,26,090
3	बिहार	20	17,35,146
4	तमिलनाडु	38	1,73,48,823
5	ओडिशा	30	25572394
6	तेलंगाना	10	443225
7	असम	27	2624942
8	महाराष्ट्र	34	1117068
9	मध्य प्रदेश	55	46841871
10	आंध्र प्रदेश	26	10660474
11	राजस्थान	27	19,50,466
12	केरल	3	8,72,655
13	छत्तीसगढ़	19	24,16,408
14	पंजाब	6	44,649
15	कर्नाटक	31	6687960
	कुल	434	18,02,55,171

अनुबंध II - ख

डीसीएस रबी 2024-25

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिले	प्लॉट
1	बिहार	28	47,78,755
2	गुजरात	33	39,37,702
3	महाराष्ट्र	34	67,66,621
4	ओडिशा	30	2,47,94,853
5	राजस्थान	30	4,51,34,285
6	उत्तर प्रदेश	75	5,44,69,367

7	आंध्र प्रदेश	26	90,00,000
8	मध्य प्रदेश	55	4,63,00,000
9	तमिलनाडु	38	3,84,45,754
10	केरल	3	8,65,917
11	असम	27	27,30,397
12	झारखंड	5	2,56,295
13	तेलंगाना	32	36,81,902
14	छत्तीसगढ़	19	22,91,820
15	पंजाब	23	21,64,259
16	उत्तराखंड	3	1,062
17	कर्नाटक	31	66,87,960
	कुल	492	25,23,06,949

अनुबंध - II ग

डीसीएस खरीफ 2025-26

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिले	प्लॉट
1	आंध्र प्रदेश	26	1,92,47,660
2	कर्नाटक	31	2,61,20,501
3	महाराष्ट्र	34	1,35,40,342
4	राजस्थान	41	1,67,14,283
5	पंजाब	23	53,69,670
6	मध्य प्रदेश	55	4,75,55,894
7	तमिलनाडु	37	2,84,84,828
8	गुजरात	33	69,69,385
9	छत्तीसगढ़	33	1,14,92,668
10	असम	30	34,12,967
11	उत्तर प्रदेश	75	5,09,27,431
12	बिहार	38	1,54,01,711
13	ओडिशा	30	2,56,28,269
14	केरल	14	49,73,767

15	झारखंड	12	43,84,587
16	तेलंगाना	32	51,08,115
17	मिजोरम	11	4,582
18	अंडमान एवं निकोबार	2	290
19	उत्तराखंड	13	14,983
20	जम्मू एवं कश्मीर	20	5,051
21	त्रिपुरा	8	30,545
22	सिक्किम	6	1,349
	कुल	604	28,53,88,878

अनुबंध - II घ

डीसीएस रबी 2025-26

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिले	प्लॉट
1	तमिलनाडु	37	3,38,84,867
2	कर्नाटक	30	99,42,735
3	महाराष्ट्र	34	34,99,974
4	केरल	14	79,62,677
5	झारखंड	24	1,10,82,694
6	ओडिशा	30	3,01,09,994
7	आंध्र प्रदेश	26	1,59,76,100
8	गुजरात	34	83,66,001
9	हिमाचल प्रदेश	12	44,21,040
10	बिहार	38	1,82,88,483
11	छत्तीसगढ़	33	1,05,26,503
12	उत्तराखंड	13	11,39,769
13	राजस्थान	41	2,72,66,008
14	असम	30	36,92,559
15	उत्तर प्रदेश	75	5,56,88,914
16	मध्य प्रदेश	55	4,81,34,982
17	त्रिपुरा	8	1,97,759
18	अंडमान एवं निकोबार	3	27,943
19	पंजाब	23	93,45,263
20	गोवा	3	6,462
21	तेलंगाना	32	1,03,96,925
22	हरियाणा	22	33,74,999
23	मिजोरम	11	2,101
24	जम्मू एवं कश्मीर	20	6,69,518
		648	31,40,04,270

अनुबंध- **III**

मिशन के तहत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए फंड्स (प्रारंभ से)

राशि करोड़ में

वर्ष	आवंटित फंड	जारी किए गए फंड	कुल व्यय
2024-25	763.88	382.59	356
2025-26	758.56	596.10	581.98
